

(b) if so, what is the proposed per quintal increase?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b). The question of fixation of statutory minimum sugarcane prices payable by the vacuum pan sugar factories to the sugarcane growers during 1974-75 is being considered keeping in view all the relevant factors.

जावरा (मध्य प्रदेश) शूगर मिल के मजदूर संघ से प्राप्त शिकायत

2752. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शूगर मिल द्वारा गेट-बिक्री चीनी-कोटे के दुरुपयोग के बारे में जावरा शूगर मिल (मध्य प्रदेश) के मजदूर संघ से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लेवी से वसूल किये गये गेहूं को रखने के लिये गोदामों की व्यवस्था

2753. श्री राम रतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेवी में वसूल की गई गेहूं को सुरक्षित रखने के लिये सरकार के पास सम्पूर्ण देश में कितने गोदाम हैं और उनमें कितना गेहूं रखा जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहब पी० शिन्दे) : भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडागार निगम, राज्य भण्डागार निगम, सहकारी समितियों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के पास भण्डारण क्षमता उपलब्ध है । गोदाम/ भण्डागारण क्षमता को विभिन्न कृषि उत्पादों और अन्य जिनसे के भण्डारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी क्षमता केवल अधिप्राप्त किये गये गेहूं के भण्डारण के ही लिये आरक्षित नहीं की जाती है । सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल क्षमता इस प्रकार है:—

एजेंसी	गोदामों/ भण्डागारों की संख्या	क्षमता दस लाख मीटरी टन में	
		अपनी	किराये की
भारतीय खाद्य निगम	1275	5.18	2.10
केन्द्रीय भण्डागार नियम और राज्य भण्डागार निगम	1043	1.77	1.94

इसके अलावा, सहकारी समितियों के पास 31.5 लाख मीटरी टन की निमित्त क्षमता के 18,676 गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के पास भी खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु भारी संख्या में गोदाम हैं।

Agreement Between India and U.K. on West-bound Traffic

2754. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a half-yearly sailing schedule for the West-bound traffic has been put to operation on a trial basis between India and U.K.; and

(b) if so, the terms and conditions of the agreement arrived at between the countries in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) and (b). India-Pakistan-Bangladesh Conference operating from India to U.K. Continent are studying the possibility of drawing up a programme of sailings in Westbound direction for a longer period than at present. Details are still under discussion.

जबरन गेहूं वसूली के बारे में किसानों की शिकायतें

2755. श्री राम रतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों से जबरन गेहूं वसूली के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध किसानों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब धी० शिन्दे) : (क) से (ग) . किसानों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अन्य लोगों से कुछ शिकायतें मिली थीं और उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। राजस्थान में काश्तकारों से जबरन अधिप्राप्ति के बारे में इन शिकायतों की जांच करने पर ये ठीक नहीं पायी गई थी।

Inclusion of Coarse Grains in the List of Cereals covered by Delhi Guest Control Order

2756. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration has decided to include coarse grain, such as jowar, bajra, and maize in the list of cereals covered by the Delhi Guest Control Order; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) The decision has been taken only to define the term "CEREALS" already covered under the Delhi Guest Control Order, 1972.

Loan sanctioned to Shipping Companies

2757. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total amount of loans sanctioned to the Shipping Companies in the year 1973-74, company-wise;